संख्या– — /XXVII(7)32-2007/2019

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7

देहरादून, दिनांकः 12 दिसम्बर, 2019

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) का पूर्णतः अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग की अधिसूचना सं0–129/XXVII(7) 32/2007 दिनांक 14.07.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2017", (समय–समय पर यथासंशोधित) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त नियमावली के माध्यम से अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं के लिये सामग्री, निर्माण कार्य, सेवाओं की अधिप्राप्ति और लोक निजी सहभागिता की व्यवस्था करने की प्रकियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता बनाये रखते हुए मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का अनुपालन नहीं करते हुए कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर अधिप्राप्ति की प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जो नियमावली के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। इससे राज्य हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है।

3– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर–35(8) के अनुसार Public Procurement Portal www.uktenders.gov.in से ई–प्रोक्योरमेन्ट की कार्यवाही की जानी अनिवार्य है। उक्त पोर्टल के अतिरिक्त अन्य प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से निविदा किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा।

4– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त नियमावली में परिभाषित सक्षम अधिकारी एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

Vitt-7 Letter

संख्या– 419 /XXVII(7)32-2007 /2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक0), कौलागढ़ देहरादून।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
6. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड।
8. मुख्य सैनिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय/कोषागार एवं वित्त सेवायें/ऑडिट/विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव